

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) पद पर संबंधित विषय हेतु आदेश कामाक-शिविर-माध्य / संस्था / सी-ओए/ 6004 / चयन/ 2018-19 दिनांक- 08.09.2018 के द्वारा जारी पुनरावलोकन (रिव्यू) डीपीसी वर्ष 2018-19 में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची में सम्मिलित संलग्न सूची में विवरणाकित कार्यकों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) गणित के पद धेतन लेयल 12 में पदोन्नति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है।

राज्य सरकार की अधिसंघना क्रनांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.08.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हों तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी / प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त / कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक / वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई-मेल commsecedu@yahoo.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नत कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक- 19/09/2018 तक संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नत कार्मिक को दिनांक- 19/09/2018 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नत स्थान हेतु कार्यमुक्त करेंगे। पदोन्नत कार्मिक को दिनांक- 20.09.2018 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

इनको कार्यमुक्त करने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान यह पुष्टि अवश्य कर लेंगे की जिस वरिष्ठता अधिक के आधार पर कार्मिक को पदोन्नत किया जा रहा है, उस अधिक के पश्चात उस कार्मिक की अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित नहीं हुई हो। अन्तर्मण्डल स्थानान्तरण के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में ऐसे कार्मिक को, इस कार्यालय को वर्तुस्थिति बतलाते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त होने पर ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

(नियमल डिकेल)

आई.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कामाक-शिविर/मा/संस्था/सी-3/गणित/रिव्यू डीपीसी/पदस्थापन-2018-19/2018 दिनांक- 13/09/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. शासन संचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन संचिव, शिक्षा(मुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. संचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. समस्त शिक्षा उप निदेशक (प्रारंभिक / माध्यमिक) को भेजकर लेख है कि संलग्न सूची में जिन कार्मिकों के आगे आदेशों की प्रतिक्षा में निदेशालय अंकित किया गया है को इस कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करावें अन्यथा इनका पदोन्नति से परित्याग मान लिया जायेगा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक / प्रारंभिक) / प्रधानाचार्य डाईट/संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे।
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
8. संबंधित अधिकारी / कार्यालय / संस्थाप्रधान
9. सहायक निदेशक वरिष्ठता / गोपनीय प्रतिवेदन / विभागीय जांच

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा / गा / संस्था / सी-३ / मणित / रिच्यू / दीपीसी पदस्थापन / 2018-19/2018

दिनांक- । 3.09.2018

क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	शिडभूल	नाम अन्यथी	वर्ग	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदौन्नति पर पदस्थापन स्थान	जिला	घयन वर्ष
1	1480	2003-2004	T	कमलेश कुमार मीणा	ST	15-09-1975	राउमायि, श्रीडूंगरगढ़ बीकानेर	राउमायि, श्रीडूंगरगढ़ बीकानेर (यथावत)	BIKANER	2011-12
2	2747	2005-2006	T	नरेश कुमार आर्य	SC	01-03-1978	राउमायि, वीरवाडा, सिरोही	GOVT. SR. SEC. SCHOOL, MAKAWAL (REODAR)	SIROHI	2018-19

(W.B.)
(नथमल डिडेल)

आई ए एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर